संख्या- ८०७/XXIV(1)/2007

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, मयूरविहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग—1 (बेसिक) देहरादून दिनांकः16मार्च, 2007

विषयः— वित्तीय वर्ष 2006—07 में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलो के प्रांतीयकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—908(1)/XXVII(1)/2006 दिनांक— 24.04.06 एवं शासनादेश संख्या—402/XXIV(1)/2006-64/2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 हेतु जूनियर हाईस्कूलों के प्रान्तीयकरण हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणनुसार आयोजनेत्तर पक्ष में रू0— 2831 हजार (दो करोड़ तिरासी लाख, दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन में रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल उक्त योजना पर ही नियोजन विभाग द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की नई मदों के कार्यान्वियन हेतु नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत् निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:—

1. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के बर्तमान नियमों/आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4. आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्यक उपलब्ध करा दिये जांय। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्याख्यिय एवं बचतों के विवरण शासन की निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

5. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6. अवशेष धनराशि की जिलावार फॉट एवं अनुदान सम्बन्धी योजनाओं के गत वर्ष स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र इसी माह के अन्त तक शासन को प्रस्तुत कर दिये जाये, तभी अवशेष धनराशि की स्वीकृत निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

7. धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित व्यौरेवार शीर्षक/सुसगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(ममता कुमार)
अपर सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
3. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक) उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
4. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 85 /XXIV(1)/07 दिनांक– 16-03-07 का संलग्नक

अनुदान संख्या–11 (धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	आयोजनागत
राजस्व लेखा	
2202– सामान्य शिक्षा	
01– प्रारम्भिक शिक्षा	
101– राजकीय प्राथमिक विद्यालय	
05– सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल का प्रांतीयकरण	
01– वेतन	1365
03– महंगाई भत्ता	342
04– यात्रा व्यय	01
05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	01
06– अन्य भत्ते	410
08– कार्यालय व्यय	10
09– विद्युत देय	01
10– जलकर/जल प्रभार	01
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	01
12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	01
17– किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	01
26– मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	10
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	01
29– अनुरक्षण	01
42– अन्य व्यय	01
45– अवकाश यात्रा व्यय	01
48– महगाई वेतन	683
योग	2831

(रूपये दो करोड़ तिरासी लाख दस हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।